

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
संस0-4/आ0 वि0 (संघा0)-01-03/2017-

शुद्धि पत्र

183
29/3/18

विभागीय आवंटनादेश संख्या-178 दिनांक-28.03.2018 के विषय एवं कंडिका-2 में अंकित "3,46,04,536- (तीन करोड़ छियालिस लाख चार हजार पाँच सौ छत्तीस रू0)" के स्थान पर "3,46,04,535- (तीन करोड़ छियालिस लाख चार हजार पाँच सौ पैतीस रू0)" पढ़ा जाय।

2. आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी-1 के क्रम संख्या- 20 की स्तम्भ-7 में "541620" के स्थान पर ₹541619/-, क्रम संख्या- 28 की स्तम्भ -7 में 1369980 के स्थान पर ₹1369981/-, क्रम संख्या- 30 की स्तम्भ -7 में 860220 के स्थान पर ₹860219/-, क्रम संख्या- 31 की स्तम्भ -7 में 860220 के स्थान पर ₹860219/- एवं क्रम संख्या- 36 की स्तम्भ -7 में 1597576 के स्थान पर ₹1597577/- तथा कुल योग के स्तम्भ-3 में 14533905 के स्थान पर ₹14533904/-, स्तम्भ-4 में 17994359 के स्थान पर ₹17994358/-, स्तम्भ-6 में 346045 के स्थान पर ₹346046/- तथा स्तम्भ-7 में 34604536 के स्थान पर ₹34604535/- पढ़ा जाय। इसी प्रकार विवरणी-1 में अक्षर में अंकित (तीन करोड़ छियालिस लाख चार हजार पाँच सौ छत्तीस रू0)" के स्थान पर " (तीन करोड़ छियालिस लाख चार हजार पाँच सौ पैतीस रू0)" पढ़ा जाय।

3. आवंटनादेश संख्या- 178 दिनांक 28.03.2018 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगे।
4. इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(वीरचन्द्र कुमार)
निदेशक

ज्ञापांक- 4/आ0 वि0 (संघा0)-01-03/2017- 183

पटना, दिनांक - 29/3/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सचिव के प्रधान आर्षा सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित उप निदेशक कल्याण, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा/जिला कल्याण पदाधिकारी, नालंदा/सासाराम/आरा/कैमूर/सीतामढ़ी/पू0चम्पारण/प0चम्पारण/वैशाली/मुजफ्फरपुर/गोपालगंज/सीवान/पूर्णियाँ/किशनगंज/बेगुसराय/लखीसराय/गया/नवादा/जहानाबाद/अरवल/मधुबनी/बांका/बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरचन्द्र कुमार)
निदेशक
29/3/18